



EPFO

- एबीआरवाई के अंतर्गत "नए कर्मचारी" के रूप में किसी कर्मचारी के पंजीकरण से पहले नियोक्ता को स्थापना में कार्य ग्रहण करने वाले कर्मचारियों से पिछली सदस्यता के संबंध में घोषणा पत्र लेकर उसकी जांच करनी होती है।
- मासिक आधार पर लाभ प्राप्त करने के लिए, नियोक्ताओं को सभी कर्मचारियों के संबंध में घोषणा तथा ईसीआर फाइल करनी होती है।
- नियोक्ता को किसी वेतन माह की समाप्ति से 60 दिन के भीतर, हर वेतन माह के लिए सभी कर्मचारियों के साथ-साथ नए कर्मचारियों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ईसीआर) फाइल करनी होती है। हालांकि, देर से फाइल की गई ईसीआर और इसके परिणामस्वरूप धारा 7-क्यू के अंतर्गत देय ब्याज के लिए नियोक्ता उत्तरदायी होगा।
- भविष्य में किसी बड़े हुए लाभ का दावा करने के लिए ऐसी ईसीआर में किसी संशोधन/सुधार की अनुमति नहीं है।
- नियोक्ता द्वारा किसी भी नए कर्मचारी के मासिक वेतन से कर्मचारी के भाग के कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कोई कटौती नहीं की जाएगी तथा ऐसी किसी कटौती के बिना वेतन का भुगतान किया जाएगा।
- एक या अधिक प्रधान नियोक्ताओं को कर्मचारी उपलब्ध कराने वाली, ठेकेदार के रूप में कार्यरत स्थापनाएं इस योजना के अंतर्गत नियोक्ता के भाग के लाभ का दावा नहीं करेंगी, अगर प्रधान नियोक्ता ने इस लाभ का दावा किया हो अथवा इस लाभ को प्राप्त किया हो।
- एबीआरवाई लाभ का दावा करने के लिए प्रस्तुत किए गए सारे विवरण के सही होने की जिम्मेदारी नियोक्ताओं तथा स्थापनाओं की होगी।

31.10.2021 तक योजना के अंतर्गत प्रगति

कुल 36,60,141 कर्मचारियों वाली कुल 1,12,060 स्थापनाओं ने 2,214.47 करोड़ रुपये का लाभ प्राप्त किया। इसमें 32,08,272 नए कर्मचारी तथा 4,51,869 ऐसे कर्मचारी शामिल हैं जिन्होंने महामारी के दौरान अपनी नौकरी गंवा दी और उन्हें पुनः रोजगार मिला।



EPFO

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई)

ध्येय

आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के एक भाग के रूप में, केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 से उबरने की अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकृत स्थापनाओं के नियोक्ताओं को महामारी के दौरान बेरोजगार हुए व्यक्तियों को पुनः रोजगार देने सहित बेरोजगार व्यक्तियों की भर्ती करने हेतु सहायता प्रदान करने द्वारा नये रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के परिणामस्वरूप पैदा हुए विघ्न पर विचार करते हुए, केंद्र सरकार ने पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर 31.03.2022 कर दिया है।

प्रोत्साहन की प्रकृति और प्रमात्रा:

- क.भ.नि.सं. के साथ पंजीकृत किसी स्थापना के नियोक्ताओं एवं उनके नए कर्मचारियों, जिनका मासिक वेतन रु. 15000/- से कम है के लिए प्रोत्साहन।
- प्रोत्साहन, कर्मचारियों एवं नियोक्ताओं दोनों के अंशदान के भुगतान के रूप में है, यानी 1000 कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने वाली स्थापनाओं के नए कर्मचारियों के संबंध में वेतन का 24% तथा 1000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने वाली स्थापनाओं के नए कर्मचारियों के संबंध में कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान अर्थात् वेतन का 12%।
- प्रोत्साहन का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा नए कर्मचारियों के यूएन में सीधे क्रेडिट किया जाता है।

वैधता अवधि:

- पात्र नियोक्ताओं एवं नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए
 - ♦ 1 अक्टूबर, 2020 से
 - ♦ 30 जून 2021 तक। केंद्र सरकार ने पंजीकरण हेतु वैधता अवधि को 9 माह बढ़ाकर 31.03.2022 तक कर दिया है।
- क.भ.नि. अंशदान के रूप में प्रोत्साहन के भुगतान हेतु नए कर्मचारियों के पंजीकरण की तिथि से 24 वेतन माह

लाभार्थी :

- "नया कर्मचारी" अर्थात् कोई भी कर्मचारी जो 15000 रुपये से कम मासिक वेतन प्राप्त कर रहा है -

अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in के होम पेज पर "एबीआरवाई" टैब के अंतर्गत योजना के दिशा-निर्देशों से संबंधित दस्तावेज देखें।



EPFO

- जो क.भ.नि.सं. के साथ पंजीकृत किसी स्थापना में काम नहीं कर रहा था और उसके पास 01 अक्टूबर, 2020 से पहले यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएन) नहीं था, जो दिनांक 01.10.2020 को अथवा उसके पश्चात् 31.03.2022 तक किसी भी स्थापना में कार्य ग्रहण करता है तथा जिसे आधार सत्यापित यूएन आबंटित किया गया हो।
- कोई भी क.भ.नि. सदस्य, जिसे पहले ही यूएन आबंटित है, जिसने 01.03.2020 से 30.09.2020 (कोविड महामारी) की अवधि के दौरान किसी भी स्थापना से नौकरी छोड़ दी हो तथा जो 01.10.2020 को या उसके बाद तथा 31.03.2022 तक किसी भी स्थापना में कार्य ग्रहण कर लेता है।

कर्मचारियों का संदर्भ आधार:

- 30.09.2020 तक, पहले से पंजीकृत स्थापनाओं के लिए।
 - ♦ 12.11.2020 के भीतर फाईल किया गया वेतन माह सितंबर, 2020 के ईसीआर में अंशदायी यूएन।
 - ♦ यदि वेतन माह सितंबर 2020 का ईसीआर दिनांक 12.11.2020 के बाद, परंतु 15.12.2020 के भीतर फाईल किया गया था, सितंबर, 2020 के वेतन माह के ईसीआर में अंशदायी यूएन, अथवा पिछले ईसीआर में अंशदायी यूएन जो दिनांक 11.11.2020 तक फाईल किया गया था, जो भी उच्चतम हो।
- दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2022 तक पंजीकरण करने वाली स्थापनाओं के लिए
 - ♦ श्रमिकों के संदर्भ आधार को शून्य माना जाएगा।
- सभी स्थापनाओं के लिए
 - ♦ एक से अधिक क.भ.नि. पंजीकरण संख्या वाली स्थापना के लिए पात्रता मानदंड (50 / 1000 कर्मचारी, जैसा भी मामला हो) की गणना के लिए संपूर्ण कर्मचारियों की संख्या की गणना की जाएगी।

स्थापनाओं के लिए पात्रता मानदंड:

- दिनांक 30.09.2020 तक क.भ.नि.सं. के साथ पहले से पंजीकृत स्थापनाओं के लिए:
 - ♦ 50 कर्मचारियों तक को रोजगार देने वाली स्थापनाओं को न्यूनतम 2 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा और 50 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाली स्थापनाओं को संदर्भ आधार (Reference Base) में 5 नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा और लाभों की पात्रता हेतु माह दर माह आधार पर संदर्भ आधार में कर्मचारियों की संख्या बनाए रखनी होगी।



EPFO

- ♦ इस योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए, स्थापनाएं किसी भी वेतन माह में अंतिम तिथि पर कर्मचारियों की संख्या में कम से कम 2 अथवा 5 नए कर्मचारी, जैसी भी स्थिति हो, को नौकरी पर बनाए रखेंगे।
- 01.10.2020 से 31.03.2022 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ पंजीकरण करने वाली स्थापनाओं के लिए।
- ♦ चूंकि कर्मचारियों का संदर्भ आधार शून्य है, अतः एक नए कर्मचारी के कार्यग्रहण करने पर भी स्थापना पात्र होगी।
- ♦ यदि कोई स्थापना 20 से कम कर्मचारियों के साथ स्वैच्छिक पंजीकरण करती है और इस योजना की वैधता अवधि के दौरान उसके कर्मचारियों की संख्या 20 ही रहती है, तो ऐसी स्थापना को कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत सांविधिक योजनाओं को छोड़ने की अनुमति नहीं होगी तथा जिन लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ है, उन्हें इस योजना की वैधता अवधि के बाद 2 वर्ष पूरे होने तक अंतिम निकासी की अनुमति नहीं होगी।

कर्मचारियों के लिए पात्रता शर्तें :

- पात्र स्थापना के नियुक्तों को 01.10.2020 से 31.03.2022 तक की अवधि के दौरान अपने नए कर्मचारी को पंजीकृत करना होगा।
- नए कर्मचारियों के पास आधार सीडेड यूनिवर्सल खाता संख्या होनी चाहिए।
- किसी भी पात्र स्थापना में नए कर्मचारी को उन वेतन माह के लिए लाभ देय होगा जिसमें वह रोजगार में रहा, यह नए कर्मचारी के रूप में पंजीकरण की तिथि से अधिकतम 24 माह के लिए सीमित होगा।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र कोई भी नया कर्मचारी तब योजना का पात्र नहीं रहेगा जब भी इस योजना अवधि के दौरान किसी भी समय उसका मासिक वेतन ₹14999/- से अधिक हो जाएगा।
- कोई भी नया कर्मचारी जो पीएमआरपीवाई/पीएमपीआरपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थी है, उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।

इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया एवं अनुदेश :

एबीआरवाई को लागू करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियुक्ता पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा की शुरुआत की है।

- एबीआरवाई के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नियुक्ता को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यूनिफाईड पोर्टल पर नियुक्ता लॉगइन में दिए गए लिंक के माध्यम से कर्मचारियों का संदर्भ आधार बताते हुए, फार्म 5ए को अपडेट करना होता है।